संख्या 284 /XXIV-3 / 2006

प्रेषक,

एस0 के0 माहेश्वरी,
अपर सचिव,
उत्तरॉचल शासन

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरॉचल, देहरादून ।

शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनॉक 20 मई,2006

विषयः राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या नियोजन– 4/2307/ जीर्ण–शीर्ण भवन निर्माण/2004–05 दिनॉक 29–4–2006 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्याः 26/XXIV-3/2006 दिनॉक 20-2-2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित माध्यमिक विद्यालयों के चालू निर्माण कार्य हेतु निम्न कालम 2 पर उल्लिखित अनुमोदित लागत के सापेक्ष कालम–3 पर पूर्व स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए निम्न कालम–4 पर अंकित विवरणानुसार अवशेष देय सम्पूर्ण रू0 280.35 लाख (रूपये दो करोड़ अस्सी लाख पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि को, शासनादेश संख्याः 233/XXIV-3/2006 दिनॉक 27–04–2006 द्वारा प्रश्नगत योजना में आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 3090.00 लाख में से व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

(धनराशि लाख में)

विद्यालय का नाम	आगणनकी अनुमोदित लागत	पूर्व स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1– रा0इ0का0 पुभाऊ, अल्मोड़ा।	28.20	5.00	23.20
2– रा0उ0मा0वि0पिपली, अल्मोड़ा।	29.75	5.00	24.75
3– रा0इ0का0 पाली गुणादित्य,अल्मोड़ा।	25.30	5.00	20.30
4– रा0इ0का0 मोतिया पाथर, अल्मोड़ा।	28.60	5.00	23.60
5– रा0इ0का0 कनरा, अल्मोड़ा।	28.60	5.00	23.60
6– रा0इ0का0 बगनस्वाल, अल्मोड़ा।	27.80	5.00	22.80
7– रा0इ0का0 चमतोला, अल्मोड़ा।	25.80	5.00	20.80
8– रा0उ0मा0वि0 अण्डोली, अल्मोड़ा।	29.10	5.00	24.10
9– रा0इ0का0 खैरोली, पिथौरागढ़।	53.60	5.00	48.60
10– रा0इ0का0 डोबालखेत, पिथौरागढ़।	53.60	5.00	48.60
योग–	330.35	50.00	280.35

(1)— निर्माण कार्य निविदा के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर ही कराया जायेगा। किसी भी दशा में आगणन के आधार पर कार्य का सम्पादन नहीं किया जायेगा।

(2)— आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(3)— कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/ मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(4)— कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(5)— एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(6) — कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(7)— कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए।

(8)— आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(9)— निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जानी वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

(10)— यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृति धनराशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय।

(11)— निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी।

2— उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहॉ आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3— इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006—07 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11 के अधीन लेखा शीर्षक— 4202—शिक्षा खेलकूद तथा सांस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय— 01—सामान्य शिक्षा— —202—माध्यमिक शिक्षा— आयोजनागत —00— 11— राजकीय हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के भवनहीन/जीर्ण—शीर्ण भवनों का निर्माण— 24— वृहद निर्माण कार्य के मानें डाला जायेगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या— 141/ वित्त अनु0—3/2006 दिनाँक 16—5—2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 के0 माहेश्वरी)
अपर सचिव

संख्याः 284 (1)/XXIV—3/2006 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार,उत्तरॉचल, देहरादून।
2— निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी।
3— निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
5— आयुक्त, कूमायूँ मण्डल, उत्तरांचल।
6— मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल—नैनीताल ।
7— जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़।
8— कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़।
9— जिला शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़।
10— बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
11— वित्त अनुभाग—3/कम्प्यूटर सेल/वित्त विभाग।
12— एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तरांचल, देहरादून।
13— संबंधित निमार्ण ऐजेन्सी।
14— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

18.5.06

(एस0 के0 माहेश्वरी)
अपर सचिव